प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

दावा प्रक्रिया

यह योजना संबंधित राज्य/केंद्रशासित राज्य की फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समितियों में किए गए निर्णय के अनुसार चयनित फसल आधार पर परिभाषित क्षेत्रों में ''क्षेत्र दृष्टिकोण'' के सिद्धांत पर संचालित होती है जिसे बीमा इकाई (आई यू) कहा जाता है। इन इकाइयों को ग्राम प्रमुख फसलों के लिए एवं लघु फसलों के लिए यह राजस्व निरीक्षक मण्डल है।

मुख्य दावों का भुगतान क्षेत्र के दृष्टिकोण के आधार पर निम्नलिखित के अधीन किया जाएगा:

- राज्य को अधिसूचित बीमा इकाई क्षेत्र के स्तर पर फसल कटाई प्रयोग (सी सी ई) की अपेक्षित संख्या का संचालन करना होगा;

- संबंधित अधिसूचित बीमा इकाई क्षेत्र में दावों का गणना के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर सी सी ई आधारित उपज डेटा बीमा कंपनी में जमा किया जाएगा।

फसल के निम्नलिखित चरणों और फसल हानि के जोखिमों को भी योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

a. निष्फल बुवाई/रोपण जोखिम: यह आवरण केवल ''मुख्य फसल'' हेतु रबी में ''चना'' के लिए ही लागू होगा। फसल बुवाई अवधि के दौरान अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि एवं अन्य विपरित मौसम के कारण अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम) में अधिसूचित मुख्य फसल की 75% से अधिक क्षेत्रफल में बुवाई/रोपाई/अंकुरण नहीं हो पाने की स्थिति में बीमित राशि का अधिकतम 25% तक क्षतिपूर्ति के रूप में कृषकों को भुगतान किया जायेगा।

पात्रता मापदंड:

इस घटक के अंतर्गत दावा भुगतान के लिए वे कृषक पात्र होंगे जिनके प्रीमियम आपदा क्षेत्र निर्धारण संबंधी शासन द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना से पूर्व जमा कर लिये गये हो अथवा उनके स्वीकृत ऋण से काट लिये गये हो। बुवाई/रोपण बाधित का भुगतान केवल तभी होगा जब अधिसूचित फसल के लिए 75% से अधिक क्षेत्रफल में बुवाई/रोपाई/अंकुरण नहीं होती है।

॥ हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:

- कवर केवल प्रमुख फसलों के लिए उपलब्ध होगा।
- भुगतान कुल बीमित राशि का 25% होगा और उसके बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
- इस प्रावधान को राज्य सरकार द्वारा नामांकन की अंतिम तारीख के 15 दिनों के भीतर अधिसूचित करने की आवश्यकता होगी, इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रावधान किया जाता है; तो दावा देय नहीं होगा।

नोट: बीमा कंपनी राज्य सरकार के अधिसूचना/आदेश के 30 दिनों के भीतर दावे को वितरित कर देगी, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम अनुदान की अंतिम सरकारी हिस्सेदारी की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना भुगतान किया जायेगा।

फसल कटाई पश्चात नुकसान:

अधिसूचित फसलों के कटाई उपरांत सूखाने अथवा छोटे-छोटे बंडलों में बांध कर खेत में रखे हुए फसल को अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) तक चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा एवं बेमौसमी वर्षा से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा।

हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:

कृषक द्वारा क्षति के सबंध में सूचना हमारी कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800 266 0700 पर या लिखित रूप से स्थानीय कृषि/राजस्व अधिकारियों, संबंधित बैंक अथवा जिला कृषि/राजस्व पदाधिकारी को लिखित रूप से निर्धारित समय सीमा 72 घण्टे के भीतर क्षतिग्रस्त बीमित फसल का ब्यौरा, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेंगे।

स्थानीय आपदाएँ: अधिसूचित क्षेत्र में फसल को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, जलभराव, बादल का फटना और प्राकृतिक आकाशीय बिजली से व्यक्तिगत आधार पर अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले क्षति।

हानि मूल्यांकन प्रक्रिया: कृषक द्वारा क्षति के संबंध में सूचना हमारी कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800 266 0700 पर या लिखित रूप से स्थानीय कृषि/राजस्व अधिकारियों, संबंधित बैंक अथवा जिला कृषि/राजस्व पदाधिकारी को लिखित रूप से निर्धारित सयम सीमा 72 घण्टे के भीतर क्षतिग्रस्त बीमित फसल का ब्यौरा, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेंगे।

नोट: युद्ध और परमाणु जोखिमों से होने वाले नुकसान, दुर्भावनापूर्ण क्षति और अन्य रोके जाने योग्य जोखिमों को बाहर रखा जाएगा।

क्लेम फॉर्म डाउनलोड करें-

महत्वपूर्ण नोट:

उपर्युक्त घटनाओं से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान के लिए, किसान को हमारी कंपनी से संपर्क करना चाहिए और घटना के 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना खसरा संख्या-वार बीमित फसल एवं प्रभावित क्षेत्र के साथ-साथ बैंक/मध्यस्थ/सीएससी केंद्र को दिए गए प्रीमियम भुगतान सत्यापन विवरण के साथ देनी चाहिए। स्थानीय समाचार पत्र की कटिंग एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्य जो हानि की घटना और हानि की गंभीरता को साबित करने के लिए यदि लागू होने के रूप में हो, को भी प्रदान किया जाना चाहिए।

1) किसान 1800 266 0700 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और नुकसान होते ही शीघ्रताशीघ्र अपडेट कर सकते हैं।

2) किसान जिला कृषि कार्यालय तक भी पहुंच सकते हैं और हमारे प्रतिनिधि को उप संचालक कृषि (डीडीए) कार्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा।

3) किसान अपने संबंधित बैंकों तक भी पहुंच सकते हैं।